संख्या– /VI-I/2008–9 (45)2005

प्रेषक,

सुवर्द्धन
अपर सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

निदेशक,
संस्कृति निदेशालय,
देहरादून।

संस्कृति अनुभाग

देहरादून दिनांक : 27 मार्च, 2008

विषय : – अखिल गढ़वाल सभा (पंजी) देहरादून के प्रस्तावित लोक संस्कृति भवन निर्माण हेतु आर्थिक सहायता के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्र संख्या–2135/स.नि.उ./चार–58/2007–08 दिनांक–7–2–08 एवं शासनादेश संख्या–494/VI-I/2008–9 (45)2005, दिनांक– 4, अक्टूबर, 06 के क्रम में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि अखिल गढ़वाल सभा (पंजी) देहरादून के प्रस्तावित लोक संस्कृति भवन निर्माण हेतु पूर्व में स्वीकृत आंशिक रूपये 15.00 लाख (रूपये पन्द्रह लाख) मात्र में अवशेष रू0 5.00 लाख (रू0 पांच लाख मात्र) की धनराशि शासनादेश संख्या–429/VI-I/2006–2(19)2007 के द्वारा आपके निवर्तन पर रखी हुई धनराशि से व्यय किए जाने पर श्री राज्यपाल महोदय सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं :–

2. उक्त स्वीकृत धनराशि इस प्रतिबंध के साथ स्वीकृत की जाती है कि मितव्ययी मदों में आंवटित सीमा तक ही व्यय सीमित रखा जाय। यहां यह भी स्पष्ट किया जाता है कि धनराशि का आवंटन किसी ऐसे व्यय को करने का अधिकार नहीं देता है, जिसे व्यय करने के लिए बजट मैनुअल या वित्तीय हस्त पुस्तिका के नियमों या अन्य आदेशों के अधीन व्यय करने से पूर्व सक्षम अधिकारी की स्वीकृति प्राप्त करना आवश्यक है। ऐसा व्यय सम्बन्धित की स्वीकृति प्राप्त कर ही किया जाना चाहिए। स्वीकृत व्यय में मितव्ययता नितान्त आवश्यक है। व्यय करते समय मितव्ययता के सम्बंध में समय–समय पर जारी किये गये शासनादेशो में निहित निर्देशों का कडाई से अनुपालन किया जाय।

3.किसी भी मद में व्यय से पूर्व वित्तीय हस्त पुस्तिका, बजट मैनुअल, भण्डार क्रय नियम तथा मितव्ययता सम्बंधी समय–समय पर निर्गत शासनादेशों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जाए। उपकरणों का क्रय डी.जी.एस. एण्डडी. की दरों पर किया जायेगा और ये दरें न होने की स्थिति में टेंडर (कोटेशन) विषयक नियमों का अनुपालन करते हुए ही किया जायेगा।

4.उक्त परियोजना का प्रस्ताव यदि भारत सरकार संस्कृति मंत्रालय को भी भेजा गया है, तथा भारत सरकार से अनुदान स्वीकृत हो जाता है, तो राज्य सरकार द्वारा दिया गया अनुदान वापस कर लिया जायेगा।

5.उक्त धनराशि का आहरण कर जिलाधिकारी, देहरादून के माध्यम से संबंधित संस्था को उपलब्ध करा दिया जाये तथा समय से उपयोगिता प्रमाण–पत्र एवं वित्तीय एवं भौतिक प्रगति जिलाधिकारी देहरादून के माध्यम से प्रतिमाह शासन को उपलब्ध कराया जाय।

6.उक्त व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2007–08 के आय–व्ययक के अनुदान संख्या–11 के अन्तर्गत लेखाशीर्षक 2205–कला एवं संस्कृति–102–कला एवं संस्कृति संवर्द्धन–03–स्वायत्तशासी संस्थाओं का अनुदान–20–सहायक अनुदान/अंशदान/राज सहायता आयोजनागत पक्ष के मानक मद के नामें डाला जायेगा

7.यह आदेश वित्त विभाग के शासनादेश संख्या–1235 (पी) /XXVII (3)/2008, दिनांक–26 मार्च, 2008 के द्वारा प्रदत्त आदेश से जारी किये जा रहे हैं।

भवदीय

(सुवर्द्धन)
अपर सचिव

पृष्ठांकन संख्या– 108 /VI-I/2008–9(45)2005 तद्दिनांकित।

प्रतिलिपि :– निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. महालेखाकार, उत्तराखण्ड वैभव पलेस सी–1/105 इन्दिरा नगर, देहरादून।
2. निजी सचिव, मा0 मंत्री जी, उत्तराखण्ड शासन।
3. अपर सचिव वित्त, उत्तराखण्ड शासन।
4. वरिष्ठ कोषाधिकारी, देहरादून।
5. वित्त अनुभाग–3 उत्तराखण्ड शासन।
6. एन0आई0सी0 देहरादून।
7. गार्ड फाइल।

5

आज्ञा से,

(श्याम सिंह)
अनुसचिव

22030826.